भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2022
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

समेकित बाल विकास योजना

2022. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश में आंगनवाड़ियों के माध्यम से चलाई जा रही समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के निष्पादन के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मुख्य भूमिका निभाते हैं और यदि हां, तो उनके कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का विचार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): 15वें वित्त आयोग (एफसी) अवधि के दौरान 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के लिए पोषण सहायता; बच्चों (3-6 वर्ष) की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तथा आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है। देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से मिशन पोषण 2.0 योजना के तहत निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:

i. पूरक पोषण (एसएनपी),
ii. प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा,
iii. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,
iv. टीकाकरण,
v. स्वास्थ्य जांच,
vi. रेफरल सेवाएं

इन छह सेवाओं में से तीन सेवाएं अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों में देश भर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा राज्यों के आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिलों की 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियां शामिल हैं। इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में अक्टूबर, 2024 तक पोषण ट्रैकर में 55607 कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों में कुल 31,64,138 लाभार्थी पंजीकृत हैं।

भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के मानदेय में वृद्धि की है। वर्तमान में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह है; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,500/- रुपये प्रति माह है और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 2,250/- रुपये प्रति माह है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम/पहल शुरू किए गए हैं:

i. पदोन्नति**:** मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।
ii. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करता है) के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को बीमा लाभ प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी पूर्ण दिव्यांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी दिव्यांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।
iii. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना**,** जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है**,** के अंतर्गत नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें।

iv. सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

v. वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को नियमित आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देश भर में इन लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति हो जाएगी, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करेंगी।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आईटी प्रणालियों का उपयोग कार्यभार को कम करने के लिए किया गया है जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से नौ भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित किया गया है।

*****